

महत्वपूर्ण

संख्या-1449/77-4-18-81एल/13

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-
वे/गीडा/सीडा/लीडा/यूपीसीडा/यूपीडा,
औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25, जून, 2018
विषय: उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2018
को अपने प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2018 प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 19.06.2018 को प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2018 की गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1449/77-4-18-81एल/13, दिनांक 22 जून, 2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न नियमावली को अपने प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली उ0प्र0 गवर्नमेंट की वेबसाइट, shasanadesh.up.nic.in पर उलपद्य है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/77-4-18तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग।
3. निजी सचिव/अपर मुख्य सचिव/आई.आई.डी.सी./सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
4. समस्त अनुभाग।
5. उद्योग बन्धु की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. मार्ट फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।